जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 13.03.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा 53/25 धारा 75/78/108/351(2)/352 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित बालअपचारी को पुलिस निगरानी मे लेने के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.03.2025 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि उसके गांव के ही रहने वाले एक लडके द्वारा पिछले कुछ समय से उसकी पुत्री को परेशान किया जा रहा था। कल दिनांक 12.03.2025 को उसकी पुत्री बोर्ड का पेपर देकर वापस आ रही थी तो रास्ते मे उक्त लडके द्वारा वादी की पुत्री का रास्ता रोककर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई, इससे तंग आकर 12/13.03.2025 की रात्रि मे वादी की पुत्री एक सुसाइड नोट छोडकर घर से निकल गई तथा ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 53/25 धारा 75/78/108/351(2)/352 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित उपरोक्त बालअपचारी को पुलिस निगरानी मे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

बालअपचारी का विवरण –

एक बालअपचारी

पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मिलाप सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी जितेन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 13.03.2025**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 87/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्ता को चोरी किये गये पीली धातु के आभूषण सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.03.2025 को वादी श्री हेमन्त कुमार पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम आलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 12/13.03.2025 की रात्रि में अज्ञात चोर के द्वारा वादी के भाई अरुण के घर से ताला तोडकर अलमारी मे रखे एक सोने की अंगूठी, एक सोने का माथे का टिक्का, एक सोने का गले का हार, एक जोडी सोने के छुमके चोरी कर लिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 87/25 धारा 305(ए) / 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग में प्रकाश मे आयी अभियुक्ता बब्ली उर्फ कुन्जन पत्नी रणवीर निवासी अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से एक अंगूठी, एक माथे का टीका, गले का हार, एक जोडी छुमके (सभी पीली धातु के) बरामद किये गये। माल बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

बब्ली उर्फ कुन्जन पत्नी रणवीर निवासी अलादीनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अंगूठी, एक माथे का टीका, गले का हार, एक जोडी छुमके (सभी पीली धातु के)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री हरिओम चौहान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.म0उ0नि0 श्री शिवानी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.हे0का0 689 पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

4.म0आरक्षी 277 कोमल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर